**माननीय प्रबन्ध परिषद की 18 वी0 बैठक दिनांक 27.03.2011 का कार्यवृत्त**

माननीय प्रबन्ध परिषद की 18 वी0 बैठक दिनांक 27.03.2011 को पूर्वान्ह् 11:30 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में स्थित कुलपति सभाकक्ष में सम्पन्न हुई ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी ।

| | | |
|---|---|---|
| 1 | डा0 अरविन्द कुमार बख्शी, कुलपति | अध्यक्ष |
| 2 | श्री शाहिद मंजूर, माननीय विधायक | सदस्य |
| 3 | श्री चन्द्रवीर सिंह, माननीय विधायक | सदस्य |
| 4 | श्री हरे नारायण शुक्ल, मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन | सदस्य |
| 5 | श्री एम0पी0 सिंह, संयुक्त निदेशक, कृषि मेरठ<br>नामित सदस्य कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 6 | डा0 आर0के0 मित्तल, ए0डी0जी0, आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली | सदस्य |
| 7 | डा0 संध्या रानी, नामित प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा | सदस्य |
| 8 | डा0 के0सी0 सिंह, कृषि वैज्ञानिक | सदस्य |
| 9 | डा0 राजेश सिंह, उपनिदेशक नामित निदेशक पशुपालन | सदस्य |
| 10 | श्री मनोज कुमार, प्रगति शील कृषक | सदस्य |
| 11 | श्री श्याम सुन्दर, लाइव स्ट्राक ब्रीडर | सदस्य |
| 12 | श्री अतुल कुमार सिंह, वित्त नियन्त्रक | सचिव |

माननीय प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए माननीय कुलपति/अध्यक्ष द्वारा सर्व सहमति से माननीय प्रबन्ध परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी ।

माननीय सदस्यों द्वारा माननीय प्रबन्ध परिषद की 17वी0 बैठक के कार्यवृत्त की पुष्ठि की गई । इस बैठक में पारित संकल्पों की अनुपालन आख्या पढी गई । प्रस्ताव सं0 2 के मद सं0 03 के संकल्प सं0 9 पर पुनः चर्चा की गई जो कि इस प्रकार है ।

**कृषि विज्ञान केन्द्र, बघरा, मुजफ्फरनगर पर कार्यरत श्री संजीव कुमार (प्रशिक्षण सहायक) द्वारा 286 दिन के चिकित्सा अवकाश पर होने के सम्बन्ध मे ।**

प्रस्ताव पर पुनः चर्चा की गयी जिसमे यह तथ्य संज्ञान मेंल लाया गया कि जॉच आख्या निदेशक प्रसार के स्तर से लम्बित है जिस पर खेद प्रकट किया गया तथा निर्णय लिया गया कि श्री संजीव कुमार (प्रशिक्षण सहायक) की जॉच रिपोर्ट डा0 ओ0पी0 सिंह, निदेशक प्रसार अपनी recommendation के साथ अतिशीघ्र प्रस्तुत करेगें । माननीय प्रबन्ध परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि श्री संजीव कुमार का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाए और उक्त की जॉच रिपोर्ट बनाकर माननीय कुलपति जी को प्रस्तुत की जाए तथा प्रकरण मे की गयी कार्यवाही को आगामी माननीय प्रबन्ध परिषद की बैठक मे पुनः रखा जाए । उक्त प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।
(कार्यवाहीः निदेशक प्रसार/मुख्य कार्मिक अधिकारी)

**संकल्प संख्या 11 सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में शिक्षकों/समकक्ष पदों पर वैज्ञानिकों की वरिष्ठता के सम्बन्ध में ।**

प्रस्ताव पर चर्चा हुई अतः वैज्ञानिकों की वरिष्ठता के सम्बन्ध में एक कमेटी का गठन किया गया जिसकी अध्यक्षता श्री शाहिद मंजूर, माननीय विधायक करेगें अगर श्री शाहिद मंजूर किसी कारण

से इसकी अध्यक्षता नही कर पाते तो उनकी जगह डा0 के0सी0 सिंह जो उक्त कमेटी मे सदस्य हैं, से इसकी अध्यक्षता कर कार्य पूरा किया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट 2 माह में माननीय कुलपति जी को प्रस्तुत की जाएगी ।

(कार्यवाहीः मुख्य कार्मिक अधिकारी)

**प्रस्ताव संख्या 03**

कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में कार्यरत शिक्षकों /समकक्षों को विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स/सिम्पोजियम में भाग लेने हेतु नियम एवं शर्तों के सम्बन्ध में ।

माननीय प्रबन्ध परिषद के सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर चर्चा कर तीन सुझाव दिये –

1 विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स/सिम्पोजियम में भाग लेने के लिए अधिकतम आयु 55 वर्ष की जाए ।
2 अगर कोई वैज्ञानिक अपने खर्चे पर विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स/ सिम्पोजियम में जाना चहाता है तो उसे अनुमति प्रदान की जाए ।
3 अधिकांशतः विदेशों मे विश्वविद्यालय/संस्थान जो सिम्पोजियम कराते हैं प्राईवेट होते हैं इसलिए वैज्ञानिकों को उक्त मे भाग लेने हेतु अनुमति दी जाए ।

(कार्यवाहीः मुख्य कार्मिक अधिकारी)

**प्रस्ताव संख्या 04**

IVth Deans Committee की संस्तुतियों को विश्वविद्यालय में लागू किया जा चुका है। अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय द्वारा पूर्व में विश्वविद्यालय Academic Regulations में दिये गये नियमों में कुछ परिवर्तन कर Faculty of Agriculture की बैठक से पारित कराकर प्रस्ताव माननीय प्रबन्ध परिषद में प्रस्तुत किया गया ।

प्रस्ताव पर चर्चा हुई विचार विमर्श के उपरान्त् प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाहीः अधिष्ठाता कृषि)

**प्रस्ताव संख्या 05**

**विश्वविद्यालय में शिक्षक पदों पर नियुक्ति हेतु Score Card अनुमोदित करने के सम्बन्ध में ।**

सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और प्राध्यापक के लिए Score Card का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।
यह सुझाव भी दिया गया कि स्कोर कार्ड में एक कालम अलग से HOD's, Dean & Director के लिए बनाया जाए । इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया कि स्कोर कार्ड के S.No. 6 में project work, एवं RMP experience को विस्तारित किया जाए ( PI = 0.5, CO PI = 0.25 तथा RMP =1.0 स्कोर दिया जाए) तथा प्रस्ताव को विद्वत परिषद की बैठक मे रखने के उपरान्त् माननीय प्रबन्ध परिषद की बैठक मे रखा जाए।

(कार्यवाहीः मुख्य कार्मिक अधिकारी)

**प्रस्ताव संख्या 06** **विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर पदों पर नियुक्ति हेतु Score Card अनुमोदित करने के सम्बन्ध में ।**

प्रस्ताव पर चर्चा हुई विचार विमर्श के उपरान्त् प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाहीः मुख्य कार्मिक अधिकारी)

**प्रस्ताव संख्या 07** **छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता निर्धारण तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पूर्व विज्ञापन संख्या II/2008 को निरस्त कर समस्त रिक्त पदों को पुनः विज्ञापन करने का अनुमोदन के सम्बन्ध में ।**

प्रस्ताव पर चर्चा हुई तथा विज्ञापन संख्या II/2008 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया । छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार ही विज्ञापन किया जाए पूर्व में विज्ञापित किये गये पदो के सम्बन्ध मे अगर किसी अभ्यर्थी ने किसी भी पद के लिए आवेदन किया है तो उसे छठे वेतन आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार ही काल किया जायेगा जिसमे उन्हे पुनः आवेदन करना होगा कि उनकी योग्यता छठे वेतन आयोग के अनुसार है या नही उन पर पूर्व मे लिए गये शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क नही लिया जायेगा । विचार विमर्श के उपरान्त् प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया । जिसके लिए समाचार पत्रों मे एक शुद्धि पत्र जारी किया जायेगा । सभी अधिकारी वर्गों की शैक्षणिक योग्यता में with consistantly good academic record को डाला जाएगा और Dean (Biotech) की योग्यता में with post graduate degree शब्द हटाने or in equivalent position के पश्चात in concerned field जोडे जाने के लिए सहमति बनी । अतः प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाहीः मुख्य कार्मिक अधिकारी)

**प्रस्ताव संख्या 08** **छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार शिक्षणेत्तर पदों की योग्यता निर्धारण तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पूर्व विज्ञापन संख्या II/2008 को निरस्त कर समस्त रिक्त पदों को पुनः विज्ञापन करने का अनुमोदन के सम्बन्ध में ।**

प्रस्ताव पर चर्चा हुई तथा विज्ञापन संख्या II/2008 को निरस्त किया गया । छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार ही विज्ञापन किया जाए पूर्व में विज्ञापित किये गये पदो के सम्बन्ध मे अगर किसी अभ्यर्थी ने किसी भी पद के लिए आवेदन किया है तो उसे छठे वेतन आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार ही काल किया जायेगा जिसमे उन्हे पुनः आवेदन करना होगा कि उनकी योग्यता छठे वेतन के आयोग के अनुसार है या नही उन पर पूर्व मे लिए गये शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क नही लिया जायेगा । विचार विमर्श के उपरान्त् प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया । जिसके लिए समाचार पत्रों मे इसके लिए एक शुद्धि पत्र जारी किया जायेगा ।

(कार्यवाहीः मुख्य कार्मिक अधिकारी)

**प्रस्ताव संख्या 09** **विश्वविद्यालय के रिक्त पदों हेतु शिक्षकों/शिक्षणेत्तर को विज्ञापित करने हेतु यू0जी0सी0/छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर**

**दिये गये मानकों के अनुरूप पदों की योग्यता की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।**

प्रस्ताव पर चर्चा हुई विचार विमर्श के उपरान्त् यह निर्णय लिया गया कि विज्ञापित सभी पदों हेतु अर्ह शैक्षणिक योग्यता के साथ "with good academic record" अवश्य जोडा जाए । इस प्रस्ताव के पश्चात प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाहीः मुख्य कार्मिक अधिकारी)

प्रस्ताव संख्या 10

**पशु चिकित्सा एवं पशु महाविद्यालय के स्वीकुत पदों को विज्ञापित करने हेतु यू0जी0सी0/छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दिये गये मानकों के अनुरूप पदों की योग्यता की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।**

प्रस्ताव पर चर्चा हुई, विचार विमर्श के उपरान्त् प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया । विश्वविद्यालय मे कार्यरत लेखाकार/सहायक लेखाकारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 10.12.2006 को शासन को सन्दर्भित किया जाये पर सहमती बनी ।

(कार्यवाहीः मुख्य कार्मिक अधिकारी)

प्रस्ताव संख्या 11

**पशु चिकित्सा एवं पशु महाविद्यालय के स्वीकुत शिक्षणेत्तर पदों को विज्ञापित करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेशों/छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दिये गये मानकों के अनुरूप पदों की योग्यता की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।**

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा पदों की योग्यता के प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।

प्रस्ताव पर चर्चा हुई व माननीय सदस्यों ने माना कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की छठे वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार समान पद पर विभिन्न महाविद्यालयों में वेतनमान की समरूपता होनी चाहिए जिसके लिए शासन से पत्राचार किया जाए व उनकी अनुमति प्राप्त की जाए । जिस पर माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाहीः मुख्य कार्मिक अधिकारी)

प्रस्ताव संख्या 12

**Proposal for memorandum of understanding between Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut and M/s Jain Irrigation Systems Limited (JISL), Jalgaon के सम्बन्ध में ।**

Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut and M/s Jain Irrigation Systems Limited (JISL), Jalgaon के प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त् प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाहीः कुलसचिव)

**प्रस्ताव संख्या 13** **सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में शिक्षकों / समकक्ष पदों पर कार्यरत वैज्ञानिकों की वरिष्ठता के सम्बन्ध में समिति का गठन ।**

प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में गठित कमेटी में डा0 ओ0पी0 सिंह निदेशक प्रसार, का0 निदेशक शोध, का0 अधिष्ठाता कृषि एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी को इस कमेटी का सदस्य न बनाया जाए क्योकि ये वरिष्ठता कमेटी के सदस्य नही हो सकते क्योकि इन शिक्षक सदस्यों की वरिष्ठता निर्धारित की जानी है । अतः कमेटी की शुचिता के लिए इन्हे कमेटी मे रखा जाना उचित नही है । उक्त के अतिरिक्त यह भी चर्चा हुई कि उक्त कमेटी की अध्यक्षता श्री शाहिद मंजूर, माननीय विधायक करेगें अगर किसी कारणवश वे इसकी अध्यक्षता नही कर पाते तो उनकी जगह डा0 के0सी0 सिंह जो इस कमेटी मे सदस्य हैं, से इसकी अध्यक्षता कर कार्य पूरा किया जाए । अतः प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया । कमेटी प्रत्येक दशा मे अपनी संस्तुतियॉ दो माह के भीतर माननीय कुलपति जी को उपलब्ध करायेगी ।

(कार्यवाहीः कुलसचिव)

**प्रस्ताव संख्या 14** **कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के विभिन्न विभागों में अधिनियम के अन्तर्गत नियमों / परिनियमों में दी गई व्यवस्थानुसार विभागाध्यक्ष का कार्य एवं दायित्व सम्पादित करने के सम्बन्ध में ।**

प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसमे यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव समस्त साक्ष्य के साथ माननीय प्रबन्ध परिषद की अगली बैठक मे रखा जाए ।

(कार्यवाहीः मुख्य कार्मिक अधिकारी)

**प्रस्ताव संख्या 15** **सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के शिक्षकों को सत्रांत लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में ।**

प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसमे यह निर्णय लिया गया कि जो शिक्षक टीचिंग नही कर रहा है उसे सत्रांत लाभ अनुमन्य नही किया जायेगा और इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश के अ0शा0 संख्या 10099/15–10–76–दिनांक 01.12.1976 के आदेश का भी पालन किया जाए । अतः प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाहीः मुख्य कार्मिक अधिकारी)

**प्रस्ताव संख्या 16** **शासनादेश संख्या 2746/67–कृशिअ–10–1500(63)/06 दिनांक 29 अक्टूबर, 2010 को निरस्त किये जाने के फलस्वरूप निर्गत शासनादेश संख्या 088/67–कृशिअ–10– 1500(63)/ 06 दिनांक 11 नवम्बर, 2010 के द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ को उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ को वित्तीय सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में ।**

प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसमे प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाहीः वित्त नियन्त्रक)

**प्रस्ताव संख्या 17** **सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ एवं हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के मध्य MOU अनुमोदन हेतु प्रस्ताव ।**

प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसमे प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।
(कार्यवाही: निदेशक शोध / अधिष्ठाता कृषि)

**प्रस्ताव संख्या 18** **Proposal for Memorandum of understanding between Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut and Directorate of Wheat Research, Karnal for Collaboration in Post Graduate Training and Research.**

प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसमे प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।
(कार्यवाही: निदेशक शोध / अधिष्ठाता कृषि)

**प्रस्ताव संख्या 19** **पी0एच0डी0 छात्रों को दिये जाने वाली फैलोशिप के साथ–साथ शैक्षिक कार्यो में 4 घण्टे प्रति सप्ताह योगदान दिये जाने के सम्बन्ध में ।**

प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसमे माननीय विद्वत परिषद की संस्तुति का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।
(कार्यवाही: कुलसचिव)

**प्रस्ताव संख्या 20** **विश्वविद्यालय में शिक्षकों, कर्मचारियों, परिसरवासियों एवं छात्रों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव ।**

विश्वविद्यालय में शिक्षकों, कर्मचारियों, परिसरवासियों एवं छात्रों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई जिसमे प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया लेकिन उक्त प्रस्ताव पर होने वाला व्यय किस प्रकार से किया जायेगा और किस पर कितना–2 व्यय किया जायेगा के बारे मे व्यय हेतु प्रस्ताव आगामी माननीय प्रबन्ध परिषद की बैठक मे रखा जाए ।
(कार्यवाही: मुख्य कार्मिक अधिकारी)

**प्रस्ताव संख्या 21** **विश्वविद्यालय के विरूद्ध न्यायालय, इलाहाबाद एवं जिला न्यायालय, मेरठ में चल रहे वादों की पैरवी हेतु अधिवक्ताओं के पैनल व विश्वविद्यालय में वादों की पैरवी हेतु विधि विशेषज्ञ / सेवानिवृत्त जज को रखने हेतु प्रस्ताव ।**

प्रस्ताव में भूलवश त्रुति से पृष्ठ संख्या 72 पर अंकित उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को संशोधन कर उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली पढा जाए तथा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के क्रम संख्या 03 पर अंकित श्री राम शंकर ओझा को श्री राधा कान्त ओझा पढा जाए इसके अतिरिक्त जिला न्यायालय, मेरठ मे क्रम संख्या 04 मे श्री अमित शर्मा का नाम शामिल किया गया जो लेबर के केश देखेगें । अतः प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया
(कार्यवाही: मुख्य कार्मिक अधिकारी / अध्यक्ष विधिक समिति)

**प्रस्ताव संख्या 22** **वित्तीय वर्ष 2010–11 का आय–व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 का प्रस्तावित आय–व्ययक के सम्बन्ध में ।**

प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसमे प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।
(कार्यवाहीः वित्त नियन्त्रक)

**प्रस्ताव संख्या 23** **माननीय प्रबन्ध परिषद के नियमित सदस्यों को प्रबन्ध परिषद की बैठक मे भाग लेने हेतु मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में ।**

प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसमे प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।
(कार्यवाहीः मुख्य कार्मिक अधिकारी/वित्त नियन्त्रक)

**प्रस्ताव संख्या 24** **Proposal to adopt UGC regulations for Sabbatical leave at Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut (U.P.)**

प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसमे प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया परन्तु विद्वत परिषद में इस पर सभी बिन्दुओं पर चर्चा कर आपरेशनल गाइड लाइन बनाकर पुनः माननीय प्रबन्ध परिषद की बैठक मे रखने के निर्देश हुए ।
(कार्यवाहीः मुख्य कार्मिक अधिकारी/कुलसचिव)

**प्रस्ताव संख्या 25** **Establishment of College of Information Technology at Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut (U.P.)**

प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसमें प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया तथा पदों की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन से पत्राचार के लिए निर्देशित किया गया ।
(कार्यवाहीः मुख्य कार्मिक अधिकारी)

**प्रस्ताव संख्या 26** **अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।**

**अ** **विश्वविद्यालय के कार्यो का शासन स्तर पर निस्तारण हेतु संविदा के आधार पर विशेष कार्याधिकारी के रूप में एक अनुभवी/भिज्ञ अधिकारी रखने के सम्बन्ध में ।**

प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ जिसमे माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि किसी सेवानिवृत्त व्यक्ति को संविदा के आधार पर विशेष कार्याधिकारी रखा जाए और विश्वविद्यालय अपने स्त्रोंत से उनका मानदेय/परिश्रमिक भुगतान करे और एक वर्ष के बाद उनके कार्य की समीक्षा की जाए। यदि कार्य संतोषजनक नही पाया जाता तो उनकी सेवायें कभी भी समाप्त की जा सकेगी । अतः प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।
(कार्यवाहीः मुख्य कार्मिक अधिकारी)

**ब विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक परामर्शदाता (Advisor) को संविदा के आधार पर रखने के सम्बन्ध में ।**

प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ जिसमे माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि किसी सेवानिवृत्त व्यक्ति को संविदा के आधार पर परामर्शदाता (Advisor) रखा जाए और विश्वविद्यालय अपने स्त्रोंत से उनका परिश्रमिक भुगतान करे और एक वर्ष के उपरान्त् उनके कार्य की समीक्षा की जाए । यदि कार्य संतोषजनक नही पाया जाता तो उनकी सेवायें कभी भी समाप्त की जा सकेगी । अतः प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाहीः मुख्य कार्मिक अधिकारी)

**स विश्वविद्यालय के कुलपति की स्वयं की बीमारी की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में ।**

प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसमे प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाहीः मुख्य कार्मिक अधिकारी/वित्त नियन्त्रक)

**द विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को भरने हेतु निष्पक्षता एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिए गोपनीयता का कार्य बाहर से कराए जाने के सम्बन्ध में ।**

प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसमे विश्वविद्यालय के रिक्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्वीकृत पदों पर भर्ती हेतु शीघ्र कार्यवाही किया जाना है । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को भरने हेतु कार्यवाही की जानी है । इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया निष्पक्षता एवं सुरक्षा पूर्ण तरीके से कराने के लिए गोपनीयता बरती जाना अति आवश्यक है जिसमें परीक्षा पत्र तैयार करना, आवेदन पत्रों की जॉच, परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों का अंकन करते हुए परिणाम तैयार किया जाना इत्यादि कार्य गोपनीय ढंग से किए जाने हैं । जिसमे माननीय प्रबन्ध परिषद ने कुलपति महोदय को कार्य कराने हेतु अधिकृत कर, अनुमोदन किया गया । अतः प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाहीः मुख्य कार्मिक अधिकारी)

**य सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ, उ०प्र० एवं कैनसास स्टेट यूनिवर्सिटी, यू०एस०ए० के मध्य शिक्षा के क्षेत्र मे सुधार के लिए अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में ।**

विश्वविद्यालय एवं कैनसास स्टेट यूनिवर्सिटी के मध्य एम०ओ०यू० पर माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा चर्चा हुई जिसमे प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाहीः कुलसचिव/अधिष्ठाता)

**र सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ, उ०प्र० एवं आएवा स्टेट यूनिवर्सिटी, यू०एस०ए० के मध्य पशु चिकित्या**

**महाविद्यालय मे चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र मे सुधार के लिए अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में ।**

विश्वविद्यालय एवं आएवा स्टेट यूनिवर्सिटी के मध्य एम0ओ0यू0 पर माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा चर्चा हुई जिसमे प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही –अधिष्ठाता पशु चिकित्सा एवं पशुपालन )

अन्त में सचिव माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया गया । तद्नुसार बैठक सम्पन्न हुई ।

(अतुल कुमार सिंह)
वित्त नियन्त्रक/सचिव, प्रबन्ध परिषद
वित्त नियन्त्रक/सचिव मा० प्रबन्ध परिषद
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि
एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ (उ०प्र०) पिन– 250 110

**अनुमोदित**

(अरविन्द कुमार बख्शी)
कुलपति/अध्यक्ष